


FORM NO. |||

फर्द अहकाम

नियम (26)

अज अदालत.....उपखण्ड अधिकारी.....मुकाम.....
 किस्म मु०.....राहुल बनाम.....सरदार
106/2025 मिसल न०.....74/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील मे जारी हुए
11/10/25	<p>प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत पण्डित दीनदयाल उपाध्याय संबल पखावाडा 2025 के द्वारा प्राप्त हुआ ,जिसमे प्रार्थी रावल पुत्र राजेन्द्र कुमार ने प्रा० पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के हिस्से की भूमि में प्रार्थी का नाम रावल पुत्र राजेन्द्र कुमार कुमार नि० लुहावद नाम दर्ज है। जमाबंदी सवत् 2074 से 77 मुताबिक खसरा नबर 1439,1550,1738,1756,1851,1992 में काशतगार का नाम रावल पुत्र राजेन्द्र कुमार दर्ज है। जिसकी शुद्धि के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया है उक्त प्रकरण की संबधित पटवारी भू. अभि. निरीक्षक क्षेत्र द्वारा दुरस्ती करने अनुशंसा की गई । अतः तहसीलदार पीपल्दा की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीया का नाम रावल पुत्र राजेन्द्र कुमार के स्थान पर राहुल पुत्र राजेन्द्र कुमार नाम दर्ज किया जावे । आज दिनांक ...<u>27/10/25</u>... को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।</p>	


 उपखण्ड अधिकारी
 इटावा